निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :– 52 / 2023प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :– 20 / 06 / 2023
निर्णय दिनांक :– 22 / 11 / 2024

अनवान

1. नारायणसिंह पिता बालुसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी नीमझर तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द
2 पूनमसिंह पिता रूपसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी नीमझर तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3 किशनसिंह पिता बालुसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी नीमझर तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम नीमझर पटवार हल्का कालेसरिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 33 आराजी संख्या 405, 406, 415 कुल किता 03 कुल रकबा 3.14 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व एवं आधिपत्य में स्थित है। उक्त भूमि का प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 03 किशनसिंह बालुसिंह

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

पिता रूपसिंह के वारिसान मालिक हैं एवं उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज कास्त है परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की उक्त भूमि प्रार्थी के पिता के नाम खातेदारी दर्ज हैं तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम जो गिरधारीसिंह पिता रूपसिंह दर्ज हैं वह गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक सही नाम बालुसिंह पिता रूपसिंह है। उक्त वर्तमान राजस्व जमाबन्दी में दर्ज नाम गिरधारीसिंह पिता रूपसिंह की जानकारी प्रार्थी को आज दिन पहले नहीं थी। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम जो गलत दर्ज हैं उसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं थी परन्तु अभी भूमि की जमाबन्दी निकलवाने पर प्रार्थी को जमाबन्दी में नाम में त्रुटि की जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थी ने कम्प्युटर से ऑनलाईन नकल प्राप्त की तो पता चला कि प्रार्थी के पिता के नाम में त्रुटि हैं और बालुसिंह पिता रूपसिंह के स्थान पर गिरधारीसिंह पिता रूपसिंह दर्ज हैं जो त्रुटिवश दर्ज है। प्रार्थी के पिता का वास्तविक एवं सभी दस्तावेजों में बालुसिंह पिता रूपसिंह ही अंकित है एवं सभी राजकीय एवं अराजकीय कार्य भी इसी नाम से सम्पादित किये जाते है। राजस्व रिकॉर्ड में नाम की त्रुटि की वजह से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में व प्रार्थी के पिता के मृत्यु प्रमाण, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक में भी बालुसिंह पिता रूपसिंह नाम अंकित है सिर्फ त्रुटिवश राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में गलत नाम गिरधारीसिंह पिता रूपसिंह दर्ज हो गया है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता के नाम में त्रुटि होने से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुझ प्रार्थी को इस त्रुटि की पूर्व में जानकारी नहीं थी परन्तु प्रार्थी को अपनी भूमि के दस्तावेजों की जरूरत पड़ी तो जमाबन्दी संवत् 2076 की नकल प्राप्त की तो पता चला कि उक्त जमाबंदी में जो प्रार्थी के पिता का नाम गिरधारीसिंह पिता रूपसिंह दर्ज है वह गलत हैं जिसको राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज को दुरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम गिरधारीसिंह पिता रूपसिंह के स्थान पर सही नाम बालुसिंह पिता रूपसिंह दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती का आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी जब अपने पिता नाम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि करवाने हेतु तहसील कार्यालय पहुचें तो वहां पर जानकारी हुई कि राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि के लिये दावा करना पड़ेगा जिससे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्ती के लिये आप न्यायालय में धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

प्रस्तुत कर रहा हूँ। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को शुद्ध करते हुए प्रार्थी के पिता का नाम गिरधारीसिंह पिता रूपसिंह विलोपित कर गिरधारीसिंह पिता रूपसिंह के स्थान पर बालुसिंह पिता रूपसिंह किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने हेतु सहमति प्रदान की। अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना तामिल अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 01 पैरोकार सरकार की ओर से जवाब मय पटवारी हल्का कालेसरिया की जांच रिपोर्ट पेश की गई जवाब में उल्लेखित है कि राजस्व ग्राम नीमझर के वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076 खाता संख्या 179 में गिरधारीलाल पिता रूपा जाति दरोगा सा0 देह दर्ज रिकॉर्ड है। पटवार हल्का कालेसरिया के मौका पर्चा के अनुसार वादी का नाम बालुसिंह पिता रूपसिंह जाति दरोगा है ग्राम पंचायत की रिपोर्ट, आधार कार्ड, राशनकार्ड एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार गिरधारीलाल पिता रूपा का अन्य नाम बालुसिंह पिता रूपसिंह है एवं इनको बालुसिंह के नाम से जाना जाता है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम नीमझर, पटवार हल्का कालेसरिया, तहसील देवगढ़ के खाता संख्या 179 राजस्व अधिकारी की त्रुटी से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गिरधारीसिंह पिता रूपसिंह दर्ज कर दिया गया जो कि अशुद्ध है। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम पंचायत की रिपोर्ट, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, में प्रार्थी के पिता का नाम बालुसिंह पिता रूपसिंह दर्ज है जो की सही है। भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की।

उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब व पटवारी हल्का कालेसरिया की

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र और उसके साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों (पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र) एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियिम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम नीमझर, पटवार हल्का कालेसरिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम गिरधारी पिता रूपसिंह को हटाकर उसके स्थान पर बालुसिंह पिता रूपसिंह को राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/11/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द